

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग  
आदेश

सं० सं०-2/एल-85/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक: / / 2026

डा० नागेन्द्र कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(जेनरल सर्जन), सदर अस्पताल, जमुई द्वारा चिकित्सा हेतु उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक 09.08.2024 से 31.01.2025 तक को वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1529(25), दिनांक 23.07.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230, 232 एवं 234 के आलोक में निम्नरूप में स्वीकृत किया जाता है:-

1	दिनांक 09.08.2024 से 27.10.2024 तक	-	कुल 80(अस्सी) दिन रूपांतरित अवकाश (160 दिन के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले)।
2	दिनांक 28.10.2024 से 31.01.2025 तक	-	कुल 96(छियानवे) दिन उपार्जित अवकाश।

2. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-85/2025- 117(2) पटना, दिनांक 22/01/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई/कोषागार पदाधिकारी, जमुई/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, जमुई/डा० नागेन्द्र कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(जेनरल सर्जन), सदर अस्पताल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9बी, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

W. K. R. 21/1/26  
सरकार के उप सचिव।